101

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 467/2017

प्रार्थी

1. श्रीमति लीला पत्नी स्व. ढगलाराम
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. ढगलाराम

जातियान जाट निवासीगण
मालकोसनी, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. दिनेश कुमार पुत्र दूदाराम
2. श्रीमति सुकड़ी पत्नी दूदाराम
3. रतनाराम पुत्र शिवराम
4. श्रीमति पेमीदेवी पत्नी शिवराम
5. कमलादेवी पुत्री शिवराम
6. समुड़ीदेवी पुत्री शिवराम
7. गीता पुत्री शिवराम
8. भूण्डाराम पुत्र ओगडराम
9. कनीराम पुत्र जोराराम
   सभी जातियान जाट निवासीगण
   मालकोसनी, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
10. दी बैंक ऑफ राजस्थान
    लिमिटेड शाखा बिलाड़ा
11. आन्ध्रा बैंक शाखा बिलाड़ा
12. विजया बैंक शाखा बिलाड़ा
13. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से श्री धीरज चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 11, 12 की ओर से श्री एन.एस.सोढा एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 13 सरकारी पैरोकार।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)

निर्णय दिनांक :– 27/6/2018

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ाद जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा आई हुई है। यह भूमि प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की खातेदारी भूमि

(रविन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है, जो माठ एक रास्ते के रूप में कई पीढियों से उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम मालकोसनी की सरहद में खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के पश्चिमी दिशा की ओर ग्राम मालकोसनी से ग्राम भावी जाने वाला आम रास्ता आया हुआ है, उक्त रास्ते पर डामरीकरण की सड़क बनी हुयी है। ग्राम मालकोसनी से ग्राम भावी जाने वाला डामरीकृत सड़क के ठीक पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 01 से 09 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा मे काश्त कार्य करने हेतु पहुचते है, इसी प्रकार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा के ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में आने जाने हेतु ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के ए॰बी॰सी॰डी॰ भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में आने–जाने हेतु प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल, छकडा व मवेशी इत्यादि को लेकर जाते है। अतः प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 324 के मार्क ए॰बी॰सी॰डी॰ भाग के रास्ते को पीढियों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा की भूमि में बरसात के समय खेत के कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क स्थित आम रास्ता से होकर कई पीढियों से आते–जाते है तथा इसी ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क के रास्ते से प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल, छकडा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में काश्त कार्य करने हेतु का यही एकमात्र ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क का वैकल्पिक रास्ता है। खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के मार्क ए॰बी॰सी॰डी॰ भाग पर निकलने वाला रास्ता है, जो खसरा नम्बर 321 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा में पहुंचता है, जिसमें किसी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 01 से 09 को कोई अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 से 09 ने बिना किसी कारण के खसरा नम्बर 324 में स्थित ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क स्थित भूमि पर कंटीली बबूल की झाडिया डालकर रास्ता बन्द कर दिया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को भूमि खसरा नम्बर 324 के ए॰बी॰सी॰डी॰ भाग पर किये गये रास्ते को बन्द कर नाजायज तौर से बाधा उत्पन्न करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में काश्त कार्य करने से वंचित होना पडेगा, जिससे प्रार्थीगण का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। प्रार्थीगण का यह ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क का रास्ता आंत्यतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा में स्थित ए॰बी॰सी॰डी॰ मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु का यह प्रार्थना–पत्र पेश करना पड रहा

(रविन्द्र कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)
सत्यमेव जयते

है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 321 में पहुंचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेते है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा में स्थित ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा में स्थित आने–जाने वाले भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नही करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावे। भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा के ए.बी.सी.डी. मार्क के रास्ते में धोरा एवं कंटीली बबूल की झाडियों को पुलिस के जरिये हटाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 8, 9 ने जवाब मय प्रारम्भिक आपतियो के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित खसरा नम्बर 321 में पुकाराम पुत्र श्री रावतराम का 1/3 वॉ हिस्सा है जिसका मौके पर व रेकर्ड में बंटवाड़ा भी नही हो रखा है व उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने पुकाराम को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थीगण ने खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा के बीच में से रास्ता की मांग की है जिससे अप्रार्थीगण की भूमि दो भागो में बट जायेगी व ज्यादा खातेदार होने से हिस्सा कम होने से अप्रार्थीगण की उक्त भूमि कृषि उपयोग की नही रहेगी जिससे अप्रार्थीगण को हानि होगी। प्रार्थीगण ने पूर्व में खसरा नम्बर 321 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि में रास्ता बाबत् नाथूराम पुखराज पुत्र बीजाराम के विरूद्ध धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.17 को प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र खेत खसरा नम्बर 328 से खसरा नम्बर 326 के माठ के सहारे सहारे पीढियों से रास्ता चलता आया है एवं इस रास्ता से होकर प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 13/2017 था जिसे खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का वैधानिक उपचार उपलब्ध था। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी संख्या 13 तहसीलदार बिलाडा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)

(अनिल कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

(104)

बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जिसके अनुसार प्रार्थीया के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता गै.मु. नहर खसरा नम्बर 326 के सहारे होते हुए प्रार्थीया के खेत से चिपते हुए निकलती है में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। उक्त वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीया के खेत के पास वर्तमान में अवरूद्ध किया हुआ है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा, पक्का निर्माण किया हुआ नही है। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 850 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने मौका रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 326 के सहारे सहारे वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 321 के 2/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा पुकाराम पुत्र रावतराम का है एवं प्रार्थीगण ने सयुक्त खातेदार पुकाराम को मौजूदा प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 321 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 324 में से रास्ता चाहा है लेकिन पूर्व में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी न्यायालय में पेश किया था जिसमें प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 326 गै.मु. नहर मे से होकर पीढियों से अपने खेत में आते–जाते है। लेकिन मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 324 के बीचोंबीच में से रास्ता चाहा है लेकिन प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 321 में 2/3 हिस्सा निहित है तथा 1/3 हिस्सा पुकाराम पुत्र रावतराम जाति जाट का है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा अपने सयुक्त खातेदार पुकाराम को न तो पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया न ही उक्त भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ है तथा न ही उक्त खातेदार से सहमति ली हुयी है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27/6/2019
(रवीन्द्र कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/6/2019 को खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा